

फा.सं.08/05/2018-सीएसआर

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,
डॉ. आर.पी. रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 28.05.2018

सेवा में,


सभी कंपनी रजिस्ट्रार,
सभी प्रादेशिक निदेशक,
सभी हितधारक।

विषय- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के तहत प्रावधानों के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के पहले परंतुक, जिसमें प्रावधान है कि कंपनी के कारपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि व्यय करने हेतु अपने संचालन के स्थानीय क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी, के गैर-अनुपालन के संबंध में कुछ हितधारकों द्वारा मामले उठाए गए हैं।

2. यह दोहराया जाता है कि उपर्युक्त प्रावधान का पूर्ण रूप से पालन किया जाए।

भवदीया,

(सीमा रथ)

उपनिदेशक

दूरभाष 011-23384657

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. ई-गवर्नेंस प्रकोष्ठ और वेब कंटेंट अधिकारी को इस मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. डीडीजी (सांख्यिकी) को राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल के लिए।
3. गार्ड फाइल।